

## आदेश

शासनादेश संख्या: 2461 / छ:-पु0-1-2010-162 / 10 दिनांक: 12.08.2010 में निहित व्यवस्था के अनुसार निलम्बित आरक्षी नाम पु0 182401259 मनोज कुमार को जनहित में जनपद अमरोहा से जनपद आजमगढ़ तात्कालिक प्रभाव से अस्थाई रूप से सम्बद्ध किया जाता है। कर्मी का गृह जनपद कैथल (हरियाणा) है। सम्बद्धता अवधि में इन्हें दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यह आदेश “पुलिस स्थापना बोर्ड” के कार्यवृत्त सूची संख्या-एसपी-(ई-1)-(जनहित)- 417/2022 दिनांक: 02-09-2022 में लिये गये निर्णय के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW  
  
 DG-IV-STHA-417/2022/711 DT 02-09-2022

21/12  
 (राहुल मिश्र)  
 अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना  
 नियोगी अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना  
 उत्तर प्रदेश

मुख्यालय      पुलिस      महानिदेशक,      उ0प्र0,      लखनऊ।  
 संख्या:- डीजी-चार-स्था0-(417 )/2022/ 711      दिनांक: सितम्बर 02 ,2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल कार्यमुक्त कर प्रस्थान कराते हुए प्रस्थान कराने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त कर्मी के निलम्बन से बहाल होने पर उसके विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के विवरण सहित आख्या परिक्षेत्र/जोन के माध्यम से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो सम्बंधित कर्मी को आगमन न कराते हुए तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

### संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।